मोबाइल फोन छीनकर भागे दो युवक गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (कासं)। भाटिया पेट्रोल पंप के निकट 10 दिन पहले युवती से मोबाइल फोन छीनकर भागे दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे छीना झपटी की अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी एसआई सोमदास ने बताया कि आरोपी पुरानी आबादी निवासी अजय सिंह उर्फ काकू मजहबी सिख तथा हरजीत सिंह उर्फ लवप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

दोनों युवक नशा करने के आदी हैं। आरोपियों ने 31 जनवरी को दोपहर करीब तीन बजे भाटिया पेट्रोल पंप के निकट पीडिता से फोन छीनकर भाग गए थे। पीडिता भागसर गांव निवासी गुरवीर कौर ने इस संबंध में थाने में परिवाद दिया। पुलिस ने इस संबंध में भाटिया पेट्रोल पंप चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू किए। इसी दौरान चुराए गए फोन को बेचने की कोशिश में आरोपियों को पकड़ा गया।

बीकानेर में 2950 करोड़ के सोलर पार्क, देशनोक को 750 करोड़ की सौगात

- विधानसभा में वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा पेश किए बजट पर भाजपा नेताओं ने बजट को सराहा वहीं कांग्रेस नेताओं ने निराशाजनक व आंकड़ों का मायाजाल बताया

बीकानेर, (कासं)। राज्य के बजट पर कांग्रेस व भाजपा ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने जहां समाज के हर वर्ग के लिए फायदेमंद बताया वहीं कांग्रेस ने कहा कि राज्य के आम बजट में जनहित वह विकास का मुद्दा कहीं नजर नहीं आया।

बीकानेर (पूर्व) विधायक सिद्धि कुमारी ने आज वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह बजट महिलाओं को सशक्त करेगा। महिलाओं के साथ हर वर्ग को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेश होने वाला यह बजट समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बीकानेर के देशनोक के लिए 750 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज प्रस्तावित किया गया है। इस राशि से देशनोक में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना है। इसी के साथ बीकानेर में नए सोलर पार्क भी स्थापित किए जायेंगे। पश्चिमी राजस्थान में बनने वाले थार सांस्कृतिक सर्किट में भी बीकानेर को शामिल किया गया है। सबसे बड़ी घोषणा देशनोक के लिए है। 24 घंटे पानी देने की जलदाय विभाग की योजना पर लम्बे समय से काम हो रहा है। बजट में प्रस्ताव आने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है। बीकानेर में 2950 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार नए सोलर पार्क स्थापित करेगी। बीकानेर से जैसलमेर के बीच में ये पार्क स्थापित होने की उम्मीद की जा रही है।

मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख की गई। 50 करोड़ की लागत से नए महिला पुनर्वास केन्द्र खुलेंगे। किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जायेगा। इससे 50 हजार बालिकाओं को फायदा दिया जायेगा।

सरकार का फोकस मजबूत रोड नेटवर्क और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर रहा है। सिद्धि कुमारी ने भजनलाल सरकार का आभार जताते हुए कहा इस बजट में महिला, युवा, किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं हर वर्ग को लाभ मिलेगा।

भारतीय जनता पार्टी देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विकसित राजस्थान की संकल्पलना को साकार करने वाला बजट पेश किया है। राजस्थान बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा है। अगले साल 50 हजार सोलर पंप लगाये जायेंगे। जिसके लिए 1500 करोड़ खर्च होंगे। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 160 करोड़ का अनुदान मिलेगा। 35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिए जायेंगे। इसके लिए 800 करोड़ ब्याज अनुदान पर खर्च किए जायेंगे।

सहकारी बैंकों से किसानों को दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा। कृषि बजट से प्रदेश के किसान लाभान्वित होंगे। भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री पंकज अग्रवाल, भाजपा जिला महामंत्री दिलीप सिंह राजपुरोहित, तोलाराम कूकना, कैलाश सियाग ने भी बजट की सराहना की।

बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने राजस्थान बजट 2026 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि युवाओं को खुद का स्टार्टअप लगाने के लिए 10 लाख रूपये तक के लोन पर शत प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा से राजस्थान में औद्योगिक विकास को बल मिलेगा।

पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को केवल आंकड़ों के जाल में उलझाकर छोड़ दिया गया। यह बजट धरातल की वास्तविक जरूरतों से दूर और कागजी घोषणाओं तक सीमित नजर आता है। सरकार ने बजट का फोकस वर्ष 2047 के दूरदर्शी विजन पर अधिक केंद्रित किया है। जबकि वर्तमान समय में प्रदेश जिन गंभीर समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई, जल संकट, किसानों की बदहाली और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। यह बजट आमजन, किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और मध्यम वर्ग को राहत देने के बजाय निराश करने वाला बजट है। न तो कोई बड़ी रोजगार योजना लाई गई, न ही किसानों की आय बढ़ाने या कर्ज राहत को लेकर कोई प्रभावी घोषणा की गई। इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके क्रियान्वयन को लेकर कोई स्पष्ट रोडमैप नजर नहीं आता। प्रदेश के कई महत्वपूर्ण लंबित प्रोजेक्ट्स और क्षेत्रीय मांगों की अनदेखी करना भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधानसभा क्षेत्र यशपाल गहलोत ने बजट को निराशाजनक और जनविरोधी बताया। उन्होंने कहा कि आम जनता, किसान, युवा, व्यापारी और मध्यम वर्ग जिस राहत और ठोस योजनाओं की उम्मीद कर रहे थे। वह इस बजट में कहीं नजर नहीं आई। बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दों पर सरकार ने केवल औपचारिक घोषणाएं की हैं। जमीनी स्तर पर कोई स्पष्ट रोडमैप दिखाई नहीं देता।

उन्होंने कहा कि सबसे चिंताजनक विषय बीकानेर जिले की अनदेखी है। बीकानेर पूर्व और पश्चिम दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के विधायक होने के बावजूद इस बजट में बीकानेर को कोई विशेष सौगात नहीं मिली।

स्काउट राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित

बीकानेर, (कासं)। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वाधान में आयोजित 11 फरवरी को मुख्य कार्यक्रम राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह राज्य प्रशिक्षण केंद्र जगतपुरा जयपुर में आयोजित किया गया।

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के स्काउट गाइड रोवर रेंजर, यूनिट लीडर एवं पदाधिकारियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया। साथ ही इस अवसर पर राजस्थान के पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीकानेर जिले के कब मास्टर रमेश कुमार मोदी को बीकानेर स्काउट गाइड गतिविधियों में सराहनीय एवं सेवा कार्यों के लिए मैडल ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सी ओ स्काउट जसवंत सिंह राजपुरोहित के अनुसार सत्र 2025-26 में बीकानेर के 155 स्काउट, 105 गाइड, 30 रोवर एवं 30 रेंजर का राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। बीकानेर जिले से एन डी ज्ञानदीप स्कूल रामपुरा बस्ती के स्काउट ऋषभ स्वामी, आर एस वी स्कूल की गाइड हीरल, राजकीय डूंगर महाविद्यालय के रोवर राजूराम जाट, एवं स्वामी विवेकानंद कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडी सिंथल की रेंजर प्रिया प्रजापत ने प्रतिनिधि के रूप में बीकानेर जिले के स्काउट गाइड रोवर रेंजर के प्रमाण पत्र प्राप्त किए।

विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने वाला बजट : मेघवाल

बीकानेर, (कासं) उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा विकसित राजस्थान की कार्ययोजना को ध्यान में रखकर ब्लू प्रिंट के रूप में लोक कल्याणकारी एवं सर्व समावेषी बजट पेश करने पर केन्द्रीय विधि व न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने राजस्थान सरकार को बधाई दी।

इस अवसर पर अर्जुनराम मेघवाल ने बताया कि यह विकसित भारत में विकसित राजस्थान की प्रभावशाली भूमिका के परिप्रेक्ष्य में उद्देश्यों की प्राप्ति एवं भाजपा की डबल इंजन की सरकार की जनसेवा की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला है। इस बजट में बीकानेर क्षेत्र को भी कई विकास कार्यों की सौगातें मिली है। जिसके लिए मेघवाल ने आभार प्रकट किया है। इस बजट में बीकानेर व जैसलमेर में 2900 करोड़ की लागत से 4830 मेगावॉट क्षमता के सौर पार्क विकसित करने का प्रावधान किया गया है जिससे मरु क्षेत्र में ऊर्जा-आत्मसनिर्भरता आयेगी और प्रदेश ऊर्जा समृद्धि की ओर तेज़ी से बढ़ेगा। कृषि व किसान कल्याणि की दृष्टि से लगभग 280 करोड़ रू की लागत से पन्नाषलाल बारूपाल लिफ्ट नहर प्रणाली, कोलायत लिफ्ट नहर प्रणाली, कंवरसेन लिफ्ट नहर प्रणाली तथा बरसलपुर शाखा में जीर्णोद्धार, पुनिर्निर्माण व आधुनिकीकरण कार्यों की ऐतिहासिक सौगात मिली है। इसके अलावा थार सांस्कृतिक सर्किट के निर्माण से बीकानेर की कला, संस्कृति व परंपराओं को वैश्विक पहचान मिलेगी।

विकसित राजस्थान की यात्रा में विकसित बीकानेर की भूमिका को ध्यान में रखकर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु जारी किए गए इस लोक कल्याणकारी व दूरदर्शी बजट के लिए केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने सभी क्षेत्रवासियों को भी बधाई दी और विश्वास प्रकट किया कि डबल इंजन की सरकार में राजस्थान व बीकानेर विकास के नए प्रतिमान स्थापित करेगा।

पालीताणा में बीकानेर के मुनि सम्यक रतन सागर का आचार्य पदारोहण 13 को

- आचार्य पदारोहण 13 को होगा, बीकानेर से श्रावक-श्राविकाएं पालीताणा जायेंगे

बीकानेर, (कासं)। खतरगच्छाधिपति आचार्य पीयूष सागरजी के सानिध्य में 13 फरवरी को जैन महातीर्थ पालीताणा में बीकानेर के मुनि सम्यक रतन सागर का आचार्य पदारोहण समारोह होगा। समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को जिनेश्वर यूवक परिषद के अध्यक्ष संदीप मुसरफ, उपाध्यक्ष मनीष बोथरा, प्राचार मंत्री धीरज खटोल, सुगनजी महाराज का उपासरा ट्रस्ट के अध्यक्ष महावीर सिंह खजांची, मंत्री पूनम चंद नाहटा व पूर्व मंत्री रतन लाल नाहटा, संतोष चंद मुसरफ, श्री चिंतामणि जैन मंदिर प्रन्यास के ट्रस्टी पवन खजांची, कुशल दुगड़, जिनेश्वर महिला परिषद की संतोष नाहटा, अंजू मुसरफ, किरण देवी बेगानी, चंद्रा देवी नाहटा आदि श्रावक-श्राविकाएं दो बसों में रतनगढ़ रवाना हुए। जिनेश्वर युवक परिषद अध्यक्ष संदीप मुसरफ ने बताया कि रतनगढ़ से रेल के माध्यम से बुधवार को ही रवाना होकर गुरूवार को पालीताणा पहुंचेंगे। परिषद के मंत्री मनीष नाहटा के नेतृत्व में लगभग 15 कार्यकर्ता व मुनि श्री सम्यक रतन सागर के सांसारिक परिजन पूर्व में ही पालीतणा पहुंच चुके हैं। बीकानेर के सुश्रावक सुगनजी महाराज के उपासरा ट्रस्ट के पूर्व कोषाध्यक्ष भीखमचंद बरड़िया के सांसारिक पुत्र सम्यक रतन सागर ने 9 मई 2001 को भगवती दीक्षा ग्रहण कर मुनि बनें। इनका 2024 को बीकानेर में आचार्यश्री जिन पीयूष सागर सूरिश्वर के साथ पहला ऐतिहासिक चार्तुमास रहा। अनेक मंदिरों की प्रतिष्ठा, शिलान्यास के कार्यक्रम हुए। मुनि सम्यक रतन सागर ने देश के विभिन्न स्थानों पर हजारों किलोमीटर की यात्रा कर भगवान महावीर के सिद्धांतों व संदेशों तक जन-जन तक पहुंचाया। मुनि सम्यक रतन सागर ने बीकानेर में चातुर्मास के दौरान विशेष कक्षाओं के माध्यम से श्रावक-श्राविकाओं को जैन धर्म के मर्म को बारीकियों से बताया। उनके सानिध्य में अजमेर दादाबाड़ी सहित देश के विभिन्न जिनालयों व दादाबाड़ियों में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री नवलेश्वर मठ, श्री विवेकनाथ की बगेची, नत्थूसर बास, बीकानेर में पूज्य योगी शिवसत्यनाथ महाराज के पावन सानिध्य में भव्य महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। बगेची के सेवादार नन्दकिशोर गहलोत ने अनुसार कि यह आयोजन ,15 फरवरी को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जायेगा।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांकः- नियोजन/2026/ **विज्ञप्ति** दिनांक : 10/02/2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं. 33 किला नं. 12 में भूखण्ड क्षेत्रफल माप 30'-0'' गुणा 59'-3'' फीट का आवासीय प्री होल्ड पट्टा संख्या 20520 दिनांक 21.06.2023 द्वारा श्री ताराचन्द लिम्बा पुत्र श्री शेरमल लिम्बा निवासी चक 4 एमएल, 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर के नाम से जारी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से मिश्रित (वाणिज्यिक) भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 अनुसार एवं जोनल प्लान अनुसार प्रसंगत क्षेत्र का भू-उपयोग मिश्रित हेतु आरक्षित है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार पट्टे/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान/ जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (परमिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णितानुसार भूखण्ड संख्या 82-A क्षेत्रफल 30'-0'' गुणा 59'-3'' फीट का आवासीय रूपान्तरित से मिश्रित (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 10.02.2026
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 4 ए छोटी मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 5,6 में भूखण्ड संख्या का माप 27'-6'' गुणा 65'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री मिथलेश कुमार पुत्र श्री बाबूराम निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री मिथलेश कुमार पुत्र श्री बाबूराम निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 4 ए छोटी मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 5,6 में भूखण्ड संख्या का माप 27'-6'' गुणा 65'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
RajKaj Ref. No. 20365577 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101492 **लोक सूचना** Rajkaj Ref. No. 20484767 दिनांक : 11.02.2026
महेश ट्रेडर्स जरिये पार्टनर्स आशीष गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता निवासी 2 बी 6 सुखाड़िया नगर श्री गंगानगर एंव रमेश कुमार मालपानी पुत्र हरखचन्द मालपानी निवासी मकान न. 20 सी ब्लॉक श्री गंगानगर एंव सतीश कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 6 जे 32 वार्ड न. 36 जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव भीम कुमार पुत्र ठंडी राम निवासी मकान न. 214 वार्ड न. 38 अग्रसेन नगर जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव उर्मिला गोयल पत्नी राजेश कुमार गोयल निवासी मकान न. 23 गौशाला रोड पंजाब नेशनल बैंक के पीछे के ब्लॉक श्री गंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	महेश ट्रेडर्स जरिये पार्टनर्स आशीष गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता निवासी 2 बी 6 सुखाड़िया नगर श्री गंगानगर एंव रमेश कुमार मालपानी पुत्र हरखचन्द मालपानी निवासी मकान न. 20 सी ब्लॉक श्री गंगानगर एंव सतीश कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 6 जे 32 वार्ड न. 36 जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव भीम कुमार पुत्र ठंडी राम निवासी मकान न. 214 वार्ड न. 38 अग्रसेन नगर जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव उर्मिला गोयल पत्नी राजेश कुमार गोयल निवासी मकान न. 23 गौशाला रोड पंजाब नेशनल बैंक के पीछे के ब्लॉक श्री गंगानगर	चक 7 ई छोटी के मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 1/1 में 0.1560 है. में से 0.0236 है. किला नं. 2/1 में 0.1540 है. में से 0.0140 है. किला नं.9 में 0.2530 है. में से 0.0223 है. किला नं. 10 में 0.2530 में से 0.0372 है. यथाकुल 0.0971 है.	कुल 0.0971 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11.02.2026 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101490 **लोक सूचना** Rajkaj Ref. No. 20485101 दिनांक : 11.02.2026
महेश ट्रेडर्स जरिये पार्टनर्स आशीष गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता निवासी 2 बी 6 सुखाड़िया नगर श्री गंगानगर एंव रमेश कुमार मालपानी पुत्र हरखचन्द मालपानी निवासी मकान न. 20 सी ब्लॉक श्री गंगानगर एंव सतीश कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 6 जे 32 वार्ड न. 36 जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव भीम कुमार पुत्र ठंडी राम निवासी मकान न. 214 वार्ड न. 38 अग्रसेन नगर जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव उर्मिला गोयल पत्नी राजेश कुमार गोयल निवासी मकान न. 23 गौशाला रोड पंजाब नेशनल बैंक के पीछे के ब्लॉक श्री गंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	महेश ट्रेडर्स जरिये पार्टनर्स आशीष गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता निवासी 2 बी 6 सुखाड़िया नगर श्री गंगानगर एंव रमेश कुमार मालपानी पुत्र हरखचन्द मालपानी निवासी मकान न. 20 सी ब्लॉक श्री गंगानगर एंव सतीश कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 6 जे 32 वार्ड न. 36 जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव भीम कुमार पुत्र ठंडी राम निवासी मकान न. 214 वार्ड न. 38 अग्रसेन नगर जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव उर्मिला गोयल पत्नी राजेश कुमार गोयल निवासी मकान न. 23 गौशाला रोड पंजाब नेशनल बैंक के पीछे के ब्लॉक श्री गंगानगर	चक 7 ई छोटी के मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 1/1 में 0.1560 है. में से 0.0473 है. किला नं. 10 में 0.2530 है. में से 0.0743 है. यथाकुल 0.1216 हैक्टे.	कुल 0.1216 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11.02.2026 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101494 **लोक सूचना** Rajkaj Ref. No. 20479324 दिनांक : 11.02.2026
महेश ट्रेडर्स जरिये पार्टनर्स आशीष गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता निवासी 2 बी 6 सुखाड़िया नगर श्री गंगानगर एंव रमेश कुमार मालपानी पुत्र हरखचन्द मालपानी निवासी मकान न. 20 सी ब्लॉक श्री गंगानगर एंव सतीश कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 6 जे 32 वार्ड न. 36 जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव भीम कुमार पुत्र ठंडी राम निवासी मकान न. 214 वार्ड न. 38 अग्रसेन नगर जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव उर्मिला गोयल पत्नी राजेश कुमार गोयल निवासी मकान न. 23 गौशाला रोड पंजाब नेशनल बैंक के पीछे के ब्लॉक श्री गंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	महेश ट्रेडर्स जरिये पार्टनर्स आशीष गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता निवासी 2 बी 6 सुखाड़िया नगर श्री गंगानगर एंव रमेश कुमार मालपानी पुत्र हरखचन्द मालपानी निवासी मकान न. 20 सी ब्लॉक श्री गंगानगर एंव सतीश कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 6 जे 32 वार्ड न. 36 जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव भीम कुमार पुत्र ठंडी राम निवासी मकान न. 214 वार्ड न. 38 अग्रसेन नगर जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव उर्मिला गोयल पत्नी राजेश कुमार गोयल निवासी मकान न. 23 गौशाला रोड पंजाब नेशनल बैंक के पीछे के ब्लॉक श्री गंगानगर	चक 7 ई छोटी के मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 2/1 में 0.1540 है. में से 0.0373 है. किला नं. 9 में 0.2530 है. में से 0.0598 है. यथाकुल 0.0968 हैक्टे.	कुल 0.0968 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11.02.2026 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : भू.वि./2025-26/राकाल रेफरेंस नं. 20312768 दिनांक : 10.02.2026
उजरदायरी
नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर की सद्भावना नगर खेजरा में नीलामी द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या 7-डी-5 माप 31'-6'' गुणा 65'-0'' फीट को श्री हरीचन्द पुत्र श्री काहन चन्द एवं श्रीमती सुषमा रानी पत्नी श्री अशोक नागपाल को आवंटित किया जाकर उक्त भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा श्री रमेश बलाना पुत्र स्व. श्री हरीचन्द एवं श्रीमती सुषमा रानी पत्नी श्री अशोक कुमार नागपाल के नाम से पट्टा क्र. 969 दिनांक 22.11.2022 को जारी किया गया। श्रीमती सुषमा रानी पत्नी श्री अशोक कुमार नागपाल की मृत्यु दिनांक 25.07.2025 को हो चुकी है, जिसके वारिस प्रमाण-पत्र के अनुसार तीन वारिस दर्शाए गए हैं। 1. श्री सौरभ नागपाल (पुत्र) 2. सुश्री मनीषा नागपाल (पुत्री) एवं 3. सुश्री अनीशा नागपाल (पुत्री)। उक्त वारिसानों के द्वारा श्री सौरभ नागपाल पुत्र स्व. श्री अशोक नागपाल के नाम से जरिये पंजीकृत दस्तावदायरी दिनांक 08.08.2025 के अनुसार अपना हिस्सा श्री सौरभ नागपाल पुत्र स्व. श्री अशोक नागपाल (भाई) के हक में कर दिया। आवेदक श्री रमेश बलाना पुत्र स्व. श्री हरीचन्द एवं श्री सौरभ नागपाल पुत्र स्व. श्री अशोक नागपाल निवासी श्रीगंगानगर द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र व पंजीकृत दस्तावदायरी की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का अपने नाम से नामान्तरण करवाने हेतु निवेदन किया है। यह उजरदायरी साथा करते हुए हर आम व खास, हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के वारिसान / वसीयत के संबंध में किसी को कोई एतराज हो तो उजरदायरी प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस में मय सबूत न्यास कार्यालय में प्रस्तुत करें। समयावधि व्यतीत होने के बाद कोई उजर मान्य नहीं होगा एवं न्यास कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण श्री रमेश बलाना पुत्र स्व. श्री हरीचन्द एवं श्री सौरभ नागपाल पुत्र स्व. श्री अशोक नागपाल निवासी श्रीगंगानगर के नाम से कर दिया जावेगा।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101495 **लोक सूचना** Rajkaj Ref. No. 20478806 दिनांक : 11.02.2026
महेश ट्रेडर्स जरिये पार्टनर्स आशीष गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता निवासी 2 बी 6 सुखाड़िया नगर श्री गंगानगर एंव रमेश कुमार मालपानी पुत्र हरखचन्द मालपानी निवासी मकान न. 20 सी ब्लॉक श्री गंगानगर एंव सतीश कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी 6 जे 32 वार्ड न. 36 जवाहर नगर श्री गंगानगर एंव भीम कुमार पुत्र ठंडी राम निवासी मकान न. 214 वार्